डीईईओ रितु चौधरी के.....

पेज एक का शेष

नतीजे लाने की उम्मीद जताई। कार्यक्रम की आयोजक व प्रेरक जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रितु चौधरी ने मोबाइल बैंक व कर्मा बैंक में समाज के सक्षम व समृद्ध लोगों से नए - पुराने मोबाइल व पुस्तकें दान करने के लिए आह्वान किया।

मोबाइल वितरण का अगला कार्यक्रम शुक्रवार 27 नवम्बर को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अज़रौंदा, फरीदाबाद में आयोजित किया गया, जिसमें 50 मोबाइल वितरित किए गए। डीईईओ रितु चौधरी ने कहा कि गरीब प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने का यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

कार्यक्रम आयोजन समिति के सदस्य सतेन्द्र सौरोत ने बताया की सभी कार्यक्रमों में कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचने के निर्देशों का भी पालन किया गया। छात्र छात्राओं के माता-पिता तथा अभिभावकों ने इस छात्र उपयोगी पहल के लिए शिक्षा विभाग व रोटरी क्लब का आभार व्यक्त किया। छात्र छात्राओं ने भविष्य में अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण होने के लिए आश्वस्त किया। कार्यक्रम में रितु चौधरी की पूर्व शिष्या कुमारी चेतना ने अपने अनुभवों से सभी को अवगत कराया।

कार्यक्रम में रोटरी क्लब फरीदाबाद आस्था के प्रधान अविकल आर्य, उपप्रधान आनंद बजाज, सचिव साहिल ग्रोवर, आगामी प्रधान सुशांत गुप्ता, पूर्व प्रधान राज भाटिया, प्रतीक गुप्ता, गौतम मल्होत्रा तथा सदस्य मनुज अधलखा, मनीष अग्रवाल व भवतोष हांडा उपस्थित रहे।

कार्यक्रम आयोजन समिति में प्रधानाचार्या रंजना मेहता, विद्यालय शिक्षा अधिकारी संगठन के जिला अध्यक्ष सतेन्द्र सौरोत, जयप्रकाश, रमेश चंद्र, नरेंद्र कुमार, गजेंद्र, विमल कुमार, अमित जैन, सुमन लता, नीना अहलावत, ललित भारद्वाज, हरबीर सिंह, सरोज बाला, देशराज सिंह आदि ने संपूर्ण व्यवस्था में योगदान दिया। मंच संचालन प्रधानाध्यापक रूद्र दत्त शास्त्री ने किया।

मोबाईल फोन वितरण के इस कार्यक्रम को दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज की उस छात्रा के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। जिसने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए लैपटॉप न मिल पाने की वजह से इसी माह आत्महत्या कर ली थी।

हैदराबाद से आने वाली वह छात्रा निहायत ही गरीब परिवार से थी लेकिन वह अपने स्कूल की टॉपर थी। दिल्ली के इस कॉलेज में दाखिला मिलने के बाद उसका वजीफा मंजूर तो हो गया था। परन्तु इस देश की लुंज-पुंज व्यवस्था के चलते वजीफा कई महीनों से फाइलों में अटका पड़ा रहा। छात्रा और अधिक समय तक उसकी प्रतीक्षा करने में असमर्थ थी और आत्महत्या कर ली। यदि लेडी श्रीराम कॉलेज में भी कोई रितु चौधरी होती तो उस प्रतिभाशाली छात्रा को जान से हाथ न धोना पड़ता।

वैक्सीन से लुटना तय है माहौल बनाए रखिए

कल कोरोना के 44,276 नए पेशेंट सामने आए हैं पिछले एक महीने से देश मे कोरोना केस 51 हजार प्रतिदिन के आँकड़े के नीचे ही रिकॉर्ड किये जा रहे है जबकि सितंबर मध्य में डेली 90 हजार पेशेंट मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही बिहार चुनाव खत्म हुए है सरकार और न्यूज़ मीडिया माहौल ऐसा बना रहा है कि जैसे कयामत ही आ गयी हो, इन दिनों नया जरूर ये हुआ है कि कोरोना वैक्सीन निर्माताओं कम्पनियों ने अपने अपने वैक्सीन को सफल बताना शुरू कर दिया है लग रहा है मोदी सरकार और बिग फार्मा कंपनियां पूरे भारत की 130 करोड़ आबादी को वैक्सीन ठुकवा कर ही मानेगी।

'टोल' बने अभिशाप

अजातशत्रु

काफ़ी दिनों से पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों को नजदीक से देखने की इच्छा थी। इसलिये जब मज़दूर मोर्चा के साथी विवेक ने उसके गांव में दिवाली मनाने का निमंत्रण दिया तो मैंने उसे लपक लिया। विवेक का गांव गोरखपुर ज़िले में है। उनका पैतृक गांव जोकहरा तो आजमगढ में पड़ता है लेकिन उनके दादे परदादे कभी आकर 'पाली मड़ई' गांव में जमीन लेकर खेती करने लगे थे। सो पूरा परिवार अब यहीं रहता है।

फ़रीदाबाद से लगभग 800 कि.मी. की दूरी होने के कारण सुबह ही निकलने का निश्चय किया गया। हालांकि सुबह छः बजे का समय तय हुआ था लेकिन विवेक की सुस्ती के चलते हम सुबह सात बजे फ़रीदाबाद से निकल पाये। समय की कमी को देखते हुये यमुना और लखनऊ एक्सप्रेस वे से जाने का तय हुआ। एक्सप्रेस वे से लखनऊ की दूरी लगभग 525 किलो मीटर पड़ती है। वाया पलवल होते हुये हम अलीगढ रोड से चलकर जेवर के पास यमुना एक्सप्रेस वे पर चढ गये।

यमुना एक्सप्रेस वे जेपी ग्रुप का मायावती के राज में बनाया हुआ रोड है। नोएडा से आगरा तक का लगभग 200 कि. मी. तक का रास्ता इससे दो सवा दो घण्टे में बड़े आराम से तय किया जा सकता है। रास्ते में तीन जगह टोल देना पड़ता है जो कुल मिला कर 415 रुपये बनता है। हालांकि जाते वक्त हमने क्योंकि जेवर से आगे ये रास्ता पकड़ा या इसलिये जेवर के टोल के 120 रुपये बच गये लेकिन फ़िर भी आगरा तक के लिये हमें 295 रुपये देने पड़े। हालांकि रोड़ अच्छा बनाया गया है लेकिन दो रुपये कि. मी. का टोल बहुत ज्यादा है। शायद इसी कारण से इस पर पर्याप्त ट्रैफ़िक नहीं है। हर टोल बूथ पर पश्चिमी देशों की तरज पर बड़े-बड़े काम्पलैक्स बनाये गये हैं जहां रहने, खाने-पीने और शौचालय की व्यवस्था है। हालांकि भवन जरूरतों और सुविधाओं के हिसाब से पर्याप्त हैं लेकिन रख-रखाव बेहद घटिया है। लगभग पूरे परिसरों में गन्दगी का आलम है। पार्किंग में कूड़ा कचरा पड़ा रहता है।

जेवर पर रात को आकर रूकी एक बस के यात्री तो उतर कर वहीं झाड़ियों के पास ही पेशाब करने लगे। हालांकि अच्छे-भले शौचालय परिसर में मौजूद थे लेकिन बताने के बावजूद भी वो अंदर नहीं गये, शायद उनको डर था कि सुलभ शौचालय की तर्ज पर यहां भी मूतने के चार-पांच रूपये न वसूल लिये जायें। इसी कारण पार्किंग का वो अंधेरा कोना पेशाब की बदबू से सड़ रहा था। बड़े-बड़े परिसर बनाने के बावजूद इनमें ठहरने वाले लगभग न के बराबर हैं। 'रेस्टोरेंट' काफ़ी महंगे होने के बावजूद लगभग ठीक उपयोग हो रहे थे। लेकिन ड्राइवरों और अन्य सहायकों के लिये कोई किफ़ायती व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी जिस कारण हमें इन परिसरों में कोई ट्रक या साधारण बस रूकी नहीं दिखायी दी। अगर इस रोड़ पर टोल घटा कर आधा कर दिया जाये और इन सुविधा परिसरों के रेट भी कम कर दिये जायें व ड्राइवर आदि स्टाफ़ के लिये विशेष 'इकोनामी' पैकेज हो तो इस रोड का पूरा उपयोग हो सकता है। अभी उपरोक्त कारणों के चलते अगर ये रोड घाटे में चल रहा है तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

खैर हम तो घर से परौंठे और अचार बांध कर ही चले थे, साथ में थर्मस में चाय भी थी। सो रास्ते में रूक कर लगभग 10 बजे हमने अपना नाश्ता कर लिया। क्रंकीट की बनी बढिया खुली सड़क हमें गाड़ी 150-200 किलो मीटर/ घण्टा की रफ्तार से भगाने को ललचा रही थी लेकिन हम 100 किलो मीटर/घण्टा की स्पीड लिमिट का पालन करते हुये लगभग 11 बजे आगरा पहुंच गये।

आगरा में यमुना और लखनऊ एक्सप्रेस वे को आपस में जोड़ दिया गया है। इसके लिये आगरा शहर के बाहर-बाहर लगभग 30 किलो मीटर का एक बाई-पास बनाया गया है। पर इसको भी लालची सरकार ने बख्शा नहीं है और इस पर भी 35 रुपये का टोल वसूला जाता है। इस तरह लगभग 330 रुपये का शुल्क देकर हमने लगभग 11.30 बजे लखनऊ एक्सप्रेस वे में प्रवेश किया।

लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एकमुश्त टोल की व्यवस्था है। आप अपने गंतव्य स्थान तक का टोल एक ही बार देकर छुट्टी पा सकते हो। हमने भी लखनऊ तक का 595 रुपये का टोल भरकर गाड़ी इस पर दौड़ा दी। इस रोड पर भी गाड़ी की स्पीड लिमिट 100 कि.मी. प्रति घण्टा ही रखी गयी है लेकिन यमुना एक्सप्रेस वे की तरह इस पर ओवर स्पीड के चालान की व्यवस्था नहीं है। इसलिये लोग 150 की स्पीड तक गाड़ी चला रहे थे।

'लखनऊ एक्सप्रेस वे' पर इतना कम ट्रैफ़िक था कि इसका निर्माण जनता के पैसे को नाली में बहाने के बराबर लगा। इस पर भी लगभग दो रुपये प्रति कि.मी. का टोल है जो एनएचएआई के टोल रोडों के रेट से दुगुना है। यहां पर भी टोल कम कर ट्रैफ़िक बढाया जा सकता है और दूसरे वैकल्पिक मार्गों पर भीड़ कम की जा सकती है। लेकिन इसकी चिंता शासन में किसे है। बीच में बने विश्राम स्थलों का यहां भी यही हाल था। ऊंची दुकान और फीका पकवान। बड़ी-बड़ी इमारतें लेकिन ग्राहकों के इन्तजार में वीरान। और आम आदमी की पहुंच से दूर महंगा खाना-पीना व ठहरना। जनता के पैसे का उच्चतम दुरूपयोग देखने को मिल रहा था। इस पर भी साफ़ सफ़ाई निम्न स्तर की ही थी। जनता से औने-पौने दामों पर ज़मीन छीन कर बनाये गये ये एक्सप्रेस वे सिर्फ़ धनाढ्यों की विलासिता के ही केन्द्र लगते हैं। आम जनता द्वारा इनके सुखमय उपयोग की सम्भावना कहीं नहीं दिखाई देती।

(अगले अंक में जारी)

गतांक की चीर-फ़ाड़

संघ परिवार व भाजपा शासित राज्यों द्वारा बार-बार लव जिहाद का हौवा

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

मज़दूर मोर्चा के 22- 28 नवम्बर 2020 के अंक में ज्वलंत राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, व धार्मिक मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण समाचार व लेख प्रकाशित हुए हैं। जनता की वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटकाने और सरकार की जवाबदेही से बचने के लिए देश में 'लव जिहाद' का मुद्दा उछाला जा रहा है। फ़रीदाबाद के बल्लबगढ की छात्रा निकिता की उसके पुराने सहपाठी तौसीफ़ द्वारा की गई हत्या पर हिंदुत्ववादी संगठनों तथा भाजपा ने तथाकथित लवजिहाद का मुद्दा उछालकर भड़काऊ भाषणों से साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश की और भाजपा शासित राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्यप्रदेश, कर्नाटक व असम की सरकारों ने लवजिहाद के विरुद्ध सख्त कानून बनाने को कहा, जिसकी 'कानून सवार लव जिहाद बनाम समाज में लव आख्यान' तथा 'लव जेहाद मतलब बाकी मामलों में जवाबदेही खत्म' में समीक्षा की गई है।

मालूम रहे कि न तो अदालत में दाखिल निकिता हत्याकांड की चार्जशीट में बहु-प्रचारित लवजिहाद मंशा का कोई जिक्र है और न निकिता के परिवार ने ऐसा कोई आरोप लगाया है। फ़रवरी 2020 में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने लोक सभा में बताया था कि 'लव जिहाद' किसी भी मौजूदा कानून में परिभाषित नहीं किया गया है तथा इस सम्बन्ध में किसी भी केन्द्रीय एजेंसी को कोई केस नहीं मिला है।

संघ परिवार व भाजपा सरकारों द्वारा समर्पित रिपब्लिक टीवी के अर्णब गोस्वामी की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को अगले दिन ही सुनवाई कर जमानत देते हुए जस्टिस चन्द्रचूड़ ने कहा कि वे यहां आजादी व संविधान की रक्षा के लिये हैं और उन्हें निजी आजादी की रक्षा करनी ही होगी। अनेक कानून विशेषज्ञों तथा सोशल मीडिया और कुणाल कामरा ने इस निर्णय की आलोचना करते हुए कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट अर्णब की तरह उन अनगिनत लोग जो कई महीनों और साल से जेल में बंद है, उनकी आज़ादी के लिये भी चिंतित हैं। भारत की सड़ांध मारती व्यवस्था को चुनौती देते कुणाल कामरा' में सुप्रीम कोर्ट के दोहरे मापदंड को बेनकाब किया गया है।

गौरतलब है कि न्याय व्यवस्था की कमियों पर टिप्पणियां करने पर प्रशांत भूषण की तरह कुणाल कामरा पर अदालत की अवमानना का केस चलाया जा रहा है। देश की न्याय व्यवस्था से देश की जनता जानना चाहती है कि एक टीवी एंकर की व्यक्तिगत स्वतंत्रता आम आदमी या औरत की निजी स्वतंत्रता से महत्वपूर्ण क्यों है?

केन्द्रीय सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय द्वारा दायर हल्फनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि सुदर्शन टीवी का बिंदास बोल कार्यक्रम प्रोग्राम कोड का उल्लंघन है और चैनल को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि अगर भविष्य में ऐसा दोबारा किया गया तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई दो हफ़्ते के लिये टाल दी है।

दरअसल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर बालिग को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने व धर्म अपनाने का अधिकार निजी स्वतंत्रता का मामला है। प्यार बेहद निजी मामला है और प्रेम में जिहाद का कोई स्थान नहीं होता। समाज में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां शादी के लिये धर्म परिवर्तन हुए हैं न कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी। इसलिए संघ परिवार व भाजपा शासित राज्यों द्वारा बार-बार लव जिहाद का हौवा खड़ा करके अन्तर्धार्मिक शादियों (लव जिहाद) को रोकने के लिये कानून बनाना सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के परिप्रेक्ष्य में संविधान का उल्लंघन है।

कई टीवी चैनलों द्वारा आरएसएस व भाजपा के साम्प्रदायिक एवं विभाजनकारी एजेंडे के तहत अपमानजनक और साम्प्रदायिक विचारों को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम प्रसारित होते रहते हैं। सुदर्शन टीवी चैनल के नौकरशाही में मुस्लिमों की घुसपैठ पर आधारित 'बिंदास बोल-यूपीएससी जिहाद' कार्यक्रम के प्रसारण के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट द्वारा केन्द्र सरकार व चैनल को जारी नोटिस पर सरकार द्वारा पेश असंतुष्ट जवाब का 'गोदी मीडिया का सुप्रीम कोर्ट में प्रभाव बचाव नहीं कर पा रही मोदी सरकार' में खुलासा किया गया है।

फ़रीदाबाद में कोरोना के मरीज बेतहाशा बढ रहे हैं और सरकारी अस्पताल की तादाद कम होने और वहां स्थिति अच्छी न होने तथा प्राइवेट अस्पतालों व प्राइवेट लैब में मनमाना पैसा वसूलने का 'फ़रीदाबाद में कोरोना जांच के नाम पर निजी लैब और बीके अस्पताल ने मचाई अंधेर गर्दी-टेस्टिंग के मनमाने रेट, पैसे की रसीद देने को तैयार नहीं, डॉक्टरों से मिली भगत' तथा 'बीके अस्पताल में भी वसूली' में पर्दाफ़ाश किया गया है।

गौरतलब है कि भारतीय स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थाई संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था की नाजुकता के कारण कोरोना महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने में बड़ी बाधा आई तथा निजी अस्पतालों में कोविड के इलाज के लिए विशिष्ट दिशा निर्देशों के अभाव के कारण मरीजों को बहुत ज्यादा फ़ीस देनी पड़ी। इस रिपोर्ट से कोरोना महामारी से निपटने के लिये सरकार की व्यवस्था और लापरवाही की पोल खुल जाती है।

आज तक, एबीपी व न्यूज नेशन चैनलों के मोदी सरकार के हितैषी ऐंकरों ने 19 नवम्बर को झूठी खबर चला कर देश में सनसनी फैला दी कि भारतीय सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) में एक और बड़ी एयरस्ट्राइक की है, जिसे सभी एंकरों ने इसे पीओके में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन बता डाला। लेकिन आधे घंटे बाद भारतीय सेना ने इस झूठी खबर का खंडन जारी कर दिया। 'पीओके पर फ़र्जी हमले की खबर चलाई चैनलों ने, भारतीय सेना ने तुरन्त किया खंडन-ऐंकर अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत और दीपक चौरसिया की लोगों ने खूब की खिंचाई' में चैनल के ऐंकरों द्वारा जहरीली और झूठी खबरें फैलाने का भंडाफ़ोड़ किया गया है।

आश्चर्य है कि मोदी सरकार तथा केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केवल टीवी नेटवर्क नियामक अधिनियम के तहत इन चैनलों व एंकरों के विरुद्ध प्रोग्राम कोड के उल्लंघन पर कोई कार्यवाई नहीं की है।